फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :— शारदा
किस्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि.
क्रमांक

विपक्षी :— रामनारायण
पत्रावली संख्या : 69 / 23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 08.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 5 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जा चुके है। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपति नहीं जताई। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से वचने के लिए प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम धाकड़ो का खेड़ा पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड की खाता संख्या नया 82 की आराजी संख्या 848, 850 किता 2 रकबा 0.4100 हैक्टेयर व खाता संख्या 177 की आराजी नंबर 807, 869 किता 2 रकबा 1.6000 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड़ को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा अदा किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:39:55 IST
Reason: SelfAttested